न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 48/2016 जिला दौसा

नानगी पुत्री रेवड पत्नि स्व. कन्हैया लाल , जाति मीणा, निवासी अलूदा, तहसील नांगल राजावतान ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा ।
2. शिवदान पुत्र रघुनाथ, जाति मीणा, निवासी अलुदा, तहसील नांगल राजावतान ।
3. सीताराम पुत्र रघुनाथ, जाति मीणा, निवासी अलुदा, तहसील नांगल राजावतान ।

रेसपोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार दौसा दिनांक 10.6.2010

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विनोद कुमार विजय
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक – 08.01.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 10.6.2010 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनां 3.11.2015 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह कि शिवदान पुत्र रूगनाथ, जाति मीना, निवासी अलूदा द्वारा एक प्रार्थना दिनांक 26.3.2007 को मृतक जगदीश पुत्र रेवड़या की खातेदारी भूमि ग्रम अलुदा के कुल किता 25 कुल रकबा 7.15 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से का नामांतरकरण मृतक जगदीश मीना द्वारा दिनांक 15.10.2004 को अपंजीकृत वसियत के आधार पर अपने नाम खोलने हेतु तहसीलदार दौसा को प्रस्तुत किया था जिसके साथ शपथ पत्र, छाया प्रति वसियतनामा अनरजिस्टर्ड , मृत्यु प्रमाण पत्र , पंचनामा ग्रम पंचायत अलुदा दिनांक 20.1.2005 एवं छाया प्रति नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की गई थी ।

तहसीलदार दौसा द्वारा शिवदान पुत्र रूगनाथ के उक्त प्रार्थना पत्र पर गवाहान के शपथ पत्र एवं बयानाता आदि लेकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.6.2010 पारित किया कि " प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसियत अपंजीकृत होने व वसियतकर्ता की स्वयं अर्जित सम्पत्ति नहीं होने के कारण एवं अप्रार्थिया नानगी मृतक की बहिन है । उत्तराधिकारी के संबंध में माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश ही

उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं । अतः माननीय सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करें । अतः प्रार्थी व अप्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाता है "।

तहसीलदार दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 10.6.2010 से व्यथित होकर नानगी पुत्री रेवड द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 10.6. 2010 निरस्त कर मृतक जगदीश पुत्र रेवड की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम भर कर तस्दीक करने के आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान को देने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार जगदीश पुत्र रेवड्या था जिसके कोई पुत्र, पुत्री व पत्नि नहीं होना सिद्ध था । अपीलान्ट नानगी विवादित भूमि के खातेदार जगदीश की बहिन होने से जगदीश की कानूनन वारिस है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने भी अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट को जगदीश की बहिन माना है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने रेस्पोंडेन्ट शिवदान का प्रार्थना पत्र खारिज करने के कारण तो अपीलाधीन आदेश मे अंकित किये हैं , लेकिन अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बिना कारण अंकित किये खारिज करने में कानूनी गलती की है । विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना अपीलान्ट की पीठ पीछे अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को कतही नहीं थी तथा सर्वप्रथम दिनांक 18.10.2015 को अपीलान्ट जगदीश के नाम की भूमि में आगामी फसल करने हेतु भूमि को ठीक कर रही थी तभी रेस्पोंडेन्ट शिवदान ने अपीलान्ट को धमकी दी कि उक्त भूमि में अब तुझे काश्त करने नहीं दूंगा क्योंकि उक्त भूमि का नामांतरकरण न तो तेरे नाम ओर न ही मेरे नाम खुला है । पटवारी हल्का से मालूम किया तो पता चला कि विवादित भूमि जगदीश के नाम ही है । इस पर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की है । अपीलान्ट अपने भाई जगदीश की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम खुलवाने हेतु विधिक वारिस है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 10.6.2010 निरस्त किया जाकर जगदीश की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक करने के आदेश पारित किये जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि प्रकरण में मृतक खातेदार जगदीश नाऔलाद व बिना पत्नि के फौत हुये हैं तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 शिवदान पुत्र रघुनाथ के नाम अनरजिस्टर्ड वसियत की है जिसके आधार पर शिवदान अपने नाम नामांतरकरण खुलवाना चाहता है तथा अपीलान्ट नानगी , मृतक खातेदार जगदीश की बहिन होने के आधार पर अपने नाम नामांतरकरण खुलवाना चाहती है । चूंकि जहॉ वसियत के संबंध में विवाद हो तो पक्षकारों को अपने उत्तराधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराना उचित एवं न्यायोधित है एवं इसी परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र खारिज किये हैं । अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार जगदीश की विरासत के नामांतरकरण का है । अपीलान्ट जगदीश की बहिन होने के आधार पर अपने नाम नामांतरकरण चाहती है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 शिवदान अपने नाम वसियत के आधार पर नामांतरकरण चाहता है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.6.2010 में माना है कि उत्तराधिकार के संबंध मे माननीय न्यायालय जिला एव सैशन न्यायाधीश ही उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं । इसलिये माननीय सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश के साथ प्रार्थना पत्र खारिज किया हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार जगदीश पुत्र रेवडिया मीना दिनांक 6.12.2004 को फौत हुआ था , जिसकी विरासत का नामांतरकरण वसियत के आधार पर खुलवाने हेतु रेस्पोंडेन्ट शिवदान द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.3.2007 को तहसीलदार दौसा को प्रस्तुत किया था । दूसरी ओर से अपीलान्ट नानगी द्वारा मृतक खातेदार जगदीश की बहिन होने के आधार पर विरासत का नामांतरकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी दौसा को दिनांक 23.5.2007 को प्रस्तुत किया था । अपीलान्ट नानगी ने रेस्पोंडेन्ट शिवदान के पक्ष में एक इकरारनामा दिनांक 22.2.2005 को लिखा है जिसमें मृतक जगदीश की सम्पत्ति से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है न रहेगा, अंकित किया हुआ है । अतः अपीलान्ट पुनः विवादित सम्पत्ति में हक चाहती है तो उसे अपने हक व अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने होगें । रेस्पोंडेन्ट शिवदान वसियत के आधार पर विरासत का नामांतरकरण चाहता है , लेकिन वसियत विवादित है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वसियत यदि विवादित हो तो वसियत के विधि एवं तथ्य के जटिल प्रश्न नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं हो सकते । ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार जगदीश की भूमि में हक व अधिकार प्राप्त करने के लिये पक्षकारान को अपने हक व अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने होगें । उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत नामांतरकरण की अपील में पक्षकारान के

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारों का निर्धारण किया जाना उचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.6.2010 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 शिवदान का प्रार्थना पत्र बाबत मृतक खातेदार जगदीश की विरासत का नामांतरकरण वसियत के आधार पर खुलवाने , इस आधार पर खारिज किया है कि वसियत अपंजीकृत होने , वसियत कर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होने एवं अप्रार्थिया नानगी मृतक की बहिन होने से उत्तराधिकारी के संबंध में माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश ही उत्तराधिकारी घोषित कर सकते है । अतः माननीय सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश के साथ प्रार्थी व अप्रार्थियों का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । हम समझते हैं कि अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 10.6.2010 उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई ओचित्य प्रतीत नहीं होने से उसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर